"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/6/2007/1/2.—श्री एम. एस. परस्ते, भा.प्र.से., कलेक्टर जिला-बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 31-05-2010 से 05-06-2010 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-05-2010 एवं 06-06-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परस्ते आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परस्ते को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परस्ते, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल, संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 28-05-2010 से 05-06-2010 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27-05-2010 एवं 06-06-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल, संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/03/2010/1/2.—सुश्री शिखा राजपूत, भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 03-04-2010 से 16-04-2010 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दि. 2 अप्रैल 2010, 17 और 18 अप्रैल 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री शिखा राजपूत आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री शिखा राजपूत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शिखा राजपूत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से., आयुक्त, वाणिज्यिक कर/आबकारी एवं पदेन सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्यिक कर एवं प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन, रायपुर को दिनांक 17-05-2010 से 01-06-2010 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16 मई, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर/आबकारी एवं पदेन सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्यिक कर एवं प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/54/2004/1/2.—डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से., संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ. ग., रायपुर को दिनांक 24-04-2010 से 01-05-2010 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-05-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. यादव आगामी आदेश तक संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ. ग., रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/2/2006/1/2.—श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा.प्र.से., अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, बिलासपुर को दिनांक 17-05-2010 से 31-05-2010 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16 मई, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राहम्णे आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राहम्णे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राहम्णे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक 438/204/2010/1-8/स्था.—श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 12-4-2010 से 16-4-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 10, 11, 17 एवं 18-4-2010 के सार्वजनिक अवकाश को उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 6-4/2010/1-8.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक 440/203/2010/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 29-3-2010 से 9-4-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार चांदे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्रमांक 708/212/2010/1-8/स्था.—श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 5-4-2010 से 9-4-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. सी. श्रीमाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. सी. श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्रमांक 466/233/2010/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 26-4-2010 से 6-5-2010 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग लाल को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग लाल अवकाश पर नहीं जाते तो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक 3794/डी-1057/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, श्री लाखन सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ (छ. ग.) की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 191/दो-2-17/2001 (भाग 2)/गोप./2010/दिनांक 13-04-2010 के परिप्रेक्ष्य में रजिस्ट्रार, छ. ग. माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक 3796/डी-1057/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 191/दो-2-17/2001 (भाग 2)/गोप./2010/दिनांक 13-04-2010 के अनुशंसा पर श्री लाखन सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ (छ. ग.) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ. ग. माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक 3798/डी-1058/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन द्वारा श्री रमाशंकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) पेण्ड्रारोड, (छ. ग.) की सेवाएं छ. ग. लोक आयोग, रायपुर में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक 3804/डी-1061/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन द्वारा छ. ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 191/दो-2-17/2001 (भाग 2)/गोप./2010/दिनांक 13-04-2010 के परिप्रेक्ष्य में श्री गोविंद कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटघोरा की सेवाएं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक 3806/डी-1061/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन द्वारा छ. ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 191/दो-2-17/2001 (भाग 2)/गोप./2010/दिनांक 13-04-2010 के परिप्रेक्ष्य में श्री गोविंद कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटघोरा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर में सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्रमांक 3835/डी-1056/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन द्वारा छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 189/दो-15-30/2002/गोप./2010/दिनांक 13-04-2010 के अनुपालन में श्री नीलम चंद सांखला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दुर्ग (छ. ग.) की सेवाएं वक्फ अधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ. ग. शासन को आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ 1/48/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.आ.शा./प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को सपरिवार (पत्नी श्रीमती के. नायक, पुत्री कु. अपर्णा तथा पुत्र त्रिविक्रम नायक सहित) खंड वर्ष 2010-11 के अंतर्गत गृह नगर पुरी (उड़ीसा) जाने हेतु दिनांक 26-04-2010 से दिनांक 21-05-2010 तक कुल 26 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 25 अप्रैल 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.आ.शा./प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.आ.शा./प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.आ.शा./प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/4966/कृ.प्र./2001/14-2.—कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 5 में वर्णित कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये कीटनाशी अधिनियम, 1968 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 46 सन् 1968) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उप संचालक कृषि, राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला, ग्राम-ठेलकाडीह, जिला-राजनांदगांव, जो कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 21 में निर्धारित आवश्यक योग्यता रखते हों, को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित समस्त कीटनाशियों के नमूनों के विश्लेषण करने हेतु कीटनाशी विश्लेषक के रूप में अधिसूचित करती है.

No. 4966/Ag. cell/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Insecticide Act, 1968 (Central Act No. 46 of 1968), to carry out the duties as stated in Rule-5 of Insecticide Rules, 1971, the State Government hereby appoints the Deputy Director of Agriculture, State Pesticide Testing Laboratory, Village-Thelkadih, District-Rajnandgaon, who possesses the essential qualification as stated in rule-21 of Insecticide Rules, 1971 as specified in schedule of the Act, the Insecticide Analysis for whole State of Chhattisgarh for analysis of samples of all insecticide included in the schedule of said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ-20-39/25-2/आजाकवि/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति, रायपुर हेतु पद संरचना स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार कुल 30 पदों की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनबैंड (3)	ग्रेड पे (4)	पद संख्या (5)	रिमार्क (6)
1.	स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर	37400-67000	8900	01	प्रतिनियुक्ति
2.	डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर	37400-67000	8700	01	नियमित
3.	फायनेन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
4.	प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
5.	वाटरशेड डेव्हलपमेंट आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
6.	कम्युनिटी डेवलपमेंट आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7.	फारेस्ट्री एण्ड फाडर डेवलपमेंट आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
8.	फार्मिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
9.	प्रशिक्षण समन्वयक	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
10.	माइक्रोफायनेन्स आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
11.	फिशरी आफिसर	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
12.	जेण्डर एवं इक्विटी स्पेशलिस्ट	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
13.	पशु चिकित्सा समन्वयक	15600-39100	5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
14.	तकनीकी सुपरवाईजर	6000/-	--	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
15.	फिल्ड सुपरवाईजर	4000/-	--	06	प्रतिनियुक्ति/संविदा
16.	असिस्टेंट प्रोग्रामर	9300-34800	4200	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
17.	एकाउंटेंट	5200-20200	2400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
18.	आर्ट फार्म	5200-20200	2400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
19.	कम्प्यूटर आपरेटर	5200-20200	2400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	स्टेनो कम डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	01	नियमित
21.	ड्राइवर	5200-20200	1900	03	प्रतिनियुक्ति/संविदा
22.	चपरासी	4750-7440	1300	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
	योग			30	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :

(1) पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जानें पर जिस विभाग से व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है वह विभाग प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये व्यक्ति के पद को एबेयंस (abeyance) में रखेगा.

(2) पदों के वेतनमान की पुष्टि कर ली जावे.

(3) पद संरचना के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जावे.

(4) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावे.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-41-मुख्य शीर्ष-2225-अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (7344) छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम-14 सहायक अनुदान मद अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु.ओ.क्रमांक-147/27886/वित्त विभाग/ब-3/2010 दिनांक 6 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्रमांक 865/764/2010/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक ढांड, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

No. 865/764/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri Vivek Dhand Commissioner Labour, Chhattisgarh as Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-15/2009/36/स्था.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा में नियुक्ति करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों या इसके पश्चात प्रत्यायोजित की जाएं;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कालम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार गठित चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत सेवा में भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ड.) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) (अराजपत्रित) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

3. **विस्तार तथा लागू होना** :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन** :– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप में या स्थानापन्न हैसियत मे धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** :– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** :– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/ चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कालम (2) में दर्शित अनुसार पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदो की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीकें द्वारा भर्ती किये जानें वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से निश्चित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन से परामर्श के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक होगा जो इन मापदण्डों तथा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा ।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रारंभ होनें के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** :– परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– **(क)** परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा–विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम–4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में (अधिकतम 10 वर्ष तक की) छूट दी जायेगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यार्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हों, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः शब्द ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या (स्थापना) में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरणः शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास तक की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या (स्थापना) में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा–निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबन्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होनें पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा मे नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो;,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हों।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मांन प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम ३८ वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जायेगी।

टीपः- (1) उपरोक्त नियम-8 के खंड (घ) के उपखंड (एक) एवं (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिये पात्र पाया जाता हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वें पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों के लिये उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में ८ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु ३८ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ठ) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी है।

(तीन) **फीस** :- अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता** :- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगाः– परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :– नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे ।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय–समय पर निर्धारित करे।

(दो) परीक्षा, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती– (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर निर्धारित करे।

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, कि नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 11 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार तीस प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गयी है और नियुक्ति प्राधिकारी की

राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी शासन से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :-**

(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये, गुणागुण (मेरिट) क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया जाता हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) यह सूची इसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदो के संबंध में यदि पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामांकित सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संवर्ग का प्रतिनिधि न हो तो समान प्रस्थिति के एक सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संवर्ग से संबंधित हो, पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जायेगा तथा पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या में उस सीमा तक विस्तार किया जायेगा।

(2) अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति कालम (3) में उसके लिए यथाविनिर्दिष्ट पदों पर, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथाविनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:-** (1) उपनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा चाहे

स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में, जैसा कि अनुसूची–चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है पूर्ण कर ली हो तथा उपनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरणः–पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, कि प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत को मिलाकर एक आरक्षित सूची भी होगी जो उपर्युक्त कालावधि के दौरान आयी अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये प्रस्तावित होगी।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड ज्येष्ठता सह उपयुक्ता (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) के आधार पर होगी ।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरणः ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया जाता हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाता हो, केवल उनके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) यदि चयन प्रक्रिया, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण में, सेवा के, किसी सदस्य का अवक्रमण करना प्रस्तावित हो तो प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

16. **चयन सूची :–**

(1) नियुक्त प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गयी सूची के साथ–साथ समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों पर भी विचार करेगा तथा यदि उसमें संशोधन (परिवर्तन) आवश्यक न समझे तो सूची अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई संशोधन (परिवर्तन) करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित संशोधन (परिवर्तन) को समिति को सूचित करेगा तथा यदि समिति की टिप्पणियां कोई हो, ध्यान रखने के पश्चात संशोधन यदि कोई हो जो उसकी राय में साम्यपूर्ण एवं उचित हो तो सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष के लिये प्रवृत्त रहेगी जब तक की नियम 15 के अनुसार उनका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता, किन्तु इसकी वैधता इसके प्रकाशन की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के पश्चात नहीं बढ़ाई जायेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :–(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम में अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में चयन सूची में सम्मिलित ऐसे कर्मचारियों के नाम हो।

18. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण** :– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मांमले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन** :– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
याकुब खेस्स, उप–सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम–5 देखिये)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम

स. क.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300–34800/–	4300/–	–
2.	सहायक अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300–34800/–	4200/–	–
3.	सहायक वर्ग–एक	11	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200/–	2800/–	–
4.	शीघ्रलेखक	02	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200/–	2800/–	–
5.	सहायक वर्ग– दो	26	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200/–	2400/–	–
6.	सहायक वर्ग– तीन	52	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200/–	1900/–	–
7.	स्टेनो टॉयपिस्ट	02	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200/–	1900/–	–
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200/–	1900/–	–

अनुसूची–दो

(नियम –6 देखिये)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम–6 (8) देखिये)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम–6 (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(ग) देखिये)
1	2	3	4	5	6	7
1	अधीक्षक	लिपिक वर्गीय	1	–	100%	–
	सहायक अधीक्षक	--''--	1	–	100%	–
	सहायक ग्रेड -I	--''--	11	25%	75%	–
	शीघ्रलेखक	--''--	2	50%	50%	–
	सहायक ग्रेड -II	--''--	26	–	100%	–
	सहायक ग्रेड -III	--''--	52	75%	25%	–
	स्टेनो टायपिस्ट	--''--	2	100%	–	–
	डाटा एण्ट्री आपरेटर	--''--	1	100%	–	–

अनुसूची–तीन

(नियम–8 तथा 14 देखिये)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम् आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5
मत्स्योद्योग विभाग	शीघ्रलेखक	18	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से – (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिये क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण (ख)अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिये क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति ।
	स्टेनो टायपिस्ट	18	--"--	1.किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण 2.किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । 3. किसी मान्य प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति ।
	सहायक वर्ग–3	18	--"--	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेंकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण 2. कसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । 3. किसी मान्य प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 (key) डिपेशन प्रति घंटे की गति ।
	डाटा एण्ट्री आपरेटर	18	--"--	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण तथा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण । 2. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा । 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति ।

अनुसूची-4

(नियम 13 तथा 14 देखिये)

छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम.

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवावधि	विभागीय पदोन्नति समिति तथा सीधी भर्ती के लिये चयन समिति के सदस्यों के नाम (नियम-14)
1	2	3	4	5
मत्स्योद्योग विभाग छत्तीसगढ़	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	5 वर्ष	(1)संचालक मत्स्योद्योग -अध्यक्ष (2)संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य (3)उप संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य
	सहायक ग्रेड -I	सहायक अधीक्षक, जहां सहायक अधीक्षक अपात्र पाये जाएं वहां अधीक्षक पद में सहायक ग्रेड -I को पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा।	5 वर्ष	(1)संचालक मत्स्योद्योग -अध्यक्ष (2)संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य (3)उप संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य
	सहायक ग्रेड -II	सहायक ग्रेड -I	5 वर्ष	(1)संचालक मत्स्योद्योग -अध्यक्ष (2)संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य (3)उप संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य
	सहायक ग्रेड -III	सहायक ग्रेड -II	5 वर्ष	(1)संचालक मत्स्योद्योग -अध्यक्ष (2)संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य (3)उप संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य
	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	(1)संचालक मत्स्योद्योग -अध्यक्ष (2)संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य (3)उप संचालक मत्स्योद्योग -सदस्य

Raipur, the 29th March 2010

No. F 1-15/2009/36/Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the recruitment to the Chhattisgarh Fisheries Department Class-3 (Ministerial) (Non-Gazetted) service, namely:-

RULES

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Fisheries Department Class-III (Ministerial) (Non-Gazetted) service, Recruitment Rules, 2009.

(2) These rule shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -**

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the authority to whom the powers of appointment to the service has been are hereafter be delegated by the Government;

(b) "Committee" means Selection Committee constituted as specified in column (5) of Schedule-IV;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Scheduled" means a Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this state under Artical 341 of the Constitution of India;

(h) "Schedule Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification no. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Fisheries Class -III (Ministerial) (Non-Gazetted) service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.** - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.** - The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** - The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By Direct recruitment, by competitive examination/selection.

(b) By promotion of persons holding posts as shown in column (2) of schedule-IV,

(c) By transfer of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so required, he may, after consulting the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) The parameters for the posts to be filled by direct recruitment by selection on merit basis, shall be fixed by the Government then constitution of a selection committee for this purpose by the head the Department shall be necessary, which may adopt these and other rational parameter with the concurrence of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued from time to time by General Administration Department be applicable.

7. **Appointment to the service.**- All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible for competitive examination/ selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age - (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selections.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable (up to a maximum of ten years) to a woman candidate in accordance with the provision of rule-4 of Chhattisgarh Civil Services (special provision for appointment of women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government, to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant should not be more that 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily, and applying for any other post should not be more than 38 years of age this concession shall also be admissible to the

work charged employees, contingency paid employees and person employed in the project Implementation committee;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation.- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in number employees (establishment) not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "Ex-service-man" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in number of employees (establishment) not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of green cards holder candidate under Family Welfare Programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme of the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes Welfare Department;

(h) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Awards holder player and National Youth Award holder young candidates.

(i) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxable to disabled candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time;

Note: (1): Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of rule-8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. Age limit shall not be relaxed in any other case.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the examination/selection.

(k) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Home Guard for period of Home Guard Service rendered by them subject to the limit of eight years but in no case their age should exceed thirty eight years.

(l) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above for entering in Government Service the maximum age limit must not exceed 45 years.

(II) **Educational Qualification.-** The candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees.-** The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision regarding eligibility of candidates shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/ selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by Selection/competitive examination.-**

(1) **Direct recruitment by competitive examination,-** Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members.

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, in consultation with the Government, from time to time.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct recruitment by Selection.–** (i) The selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, from time to time.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Committee by interviewing them, and

(iii) The Selection Committee shall be constituted by Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Back ward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 11, irrespective of their relatives rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for woman candidate in accordance with Chhattisgarh Civil Service (special provision for appointment of women) Rule, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(8) There shall be Reserved post for disabled candidates in accordance with the directions of the General Administration Department.

12. **List of Candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The selection committee shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection committee and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall send to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961, Candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of its publication.

13. **Appointment by Promotion. -** (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the promotion/screening committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Caste or Scheduled Tribes then one member belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/screening committee and the number of members of promotion/screening committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) there of, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

14. **Conditions relating to eligibility for promotion/transfer. -** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all those persons, who as on the first day of January of that year had

completed such number of years of service, whether officiating or substantive in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.- Manner of computation for eligibility for promotion period of qualifying service on 1st January of the relevant year, in which departmental promotion committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the posts and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) For promotion the provision of Chhattisgarh Public Services (Promotion) rules, 2003 shall apply.

15. **Preparation of list of Suitable Candidates: -** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion/ transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/ promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provision of the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) The names of persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.-The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) If in the process of selection, review are revision it is proposed to supersede any member of this service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select list.-** (1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by, committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee he shall inform the committee of the changes proposed and after taking into account the comments if any, of the committee, may approve the list finally with such modifications if any, as may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the appinting authority shall be select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce for a period of one year, until it is reviewed or revised in accordance with rule-15, but it validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its publication.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and if the committee may, if it deems fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment in the Service from the Select List.-** (1) Appointments of the employees included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

18. **Probation.-** Every person directly recruited by or promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation:-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I

(See Rule - 5)

Chhattisgarh fisheries class-III (Ministerial) Service recruitment rules

S.No	Name of the post included in the service	Number of posts	Classification	Pay-scale	Grade Pay	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1.	Superintendent	1	Class -III Ministerial	9300-34800/-	4300/-	--
2.	Assistant Superintendent	1	"	9300-34800/-	4200/-	--
3.	Assistant Grade - I	11	"	5200-20200/-	2800/-	--
4.	Stenographer	2	"	5200-20200/-	2800/-	--
5.	Assistant Grade - II	26	"	5200-20200/-	2400/-	--
6.	Assistant Grade - III	52	"	5200-20200/-	1900/-	--
7.	Steno typist	2	"	5200-20200/-	1900/-	--
8.	Data-entry operator	1	"	5200-20200/-	1900/-	--

SCHEDULE - II

(See Rule - 6)

Chhattisgarh fisheries class-III (Ministerial) Service recruitment rules

S.No	Name of Department	Name of service	Name of duty post	Percentage of number of duty post to be filled		
				By direct recruitment (see rule 6 (8))	By promotion of substantive member of service (see rule 6(b))	By transfer of other service (see rule 6(c))
1.	Superintendent	Ministerial	1	-	100%	-
	Assistant Superintendent	---"---	1	-	100%	-
	Assistant Grade - I	---"---	11	25%	75%	-
	Stenographer	---"---	2	50%	50%	-
	Assistant Grade - II	---"---	26	-	100%	-
	Assistant Grade - III	---"---	52	75%	25%	-
	Steno typist	---"---	2	100%	-	-
	Data-entry operator	---"---	1	100%	-	-

SCHEDULE - III

(See Rule - 8 & 14)

Chhattisgarh fisheries class-III (Ministerial) Service recruitment rules

Name of Department	Name of service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification
1	2	3	4	5
Fisheries Department	Stenographer	18	30 years (35 year for local resident of C.G.)	1. Passed higher secondary of (10+2) from any recognized board/ university.
				2. From any recognized board/institution or shorthand and Typing Council
				(a) Passed Hindi Shorthand and Typing examination with speed of 100 wpm and 25 wpm respectively for Hindi Stenographer.
				(b) Passed English Shorthand and Typing examination with speed of 100 wpm and 25 wpm respectively for English Stenographer.
				3. Certificate/diploma in Data-entry operator/programming and speed of 10000 key depression at Data-entry per hour from any recognized institution.
	Stenotypist	18	"	1. Passed higher secondary or (10+2) from any recognized board/university.
				2. Passed Hindi Shorthand examination with speed of 60 wpm and 25 wpm speed in Hindi Typing from any recognized Institution.
				3. Certificate/diploma in Data-entry operator/programming and speed of 5000 key depression at Data-entry per hour from any recognized institution.
	Assistant Grade -III	18	"	1. Passed higher secondary or (10+2) from any recognized board/university.
				2. Passed Hindi Typing with speed of 25 wpm from any recognized board/ Institution.
				3. Certificate/diploma in Data-entry operator/programming and speed of 5000 key depression at Data-entry per hour from any recognized institution.
	Data-entry operator	18	"	1. Class 12th (10+2) passed by Board and 10th passed by Board and passed three years diploma in any subject
				2. One year's Diploma in Data-entry Operator/Programming from any recognized Institution.
				3. 8000 key depression per hour speed in Hindi & English in computer.

SCHEDULE-IV
(See Rule 13 and 14)
Chhattisgarh Fisheries Class III (Ministerial) service recruitment rules.

Name of the Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Required service Period for promotion	Name of Member of Departmental Promotion Committee and Selection Committee for direct recruitment. (Rule 14)
1	2	3	4	5
Fisheries Department C.G.	Assistant Superintendent	Superintendent	5 Year	1. Director Fisheries -Chairman 2. Joint Director Fisheries -Member 3. Deputy Director Fisheries - Member
	Assistant Grade-I	Assistant Superintendent, where Assistant superintendent found ineligible, Assistant grade-I may be considered for promotion in the post of superintendent	5 Year	1. Director Fisheries - Chairman 2. Joint Director Fisheries - Member 3. Deputy Director Fisheries - Member
	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 Year	1. Director Fisheries - Chairman 2. Joint Director Fisheries - Member 3. Deputy Director Fisheries - Member
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 Years	1. Director Fisheries - Chairman 2. Joint Director Fisheries - Member 3. Deputy Director Fisheries - Member
	Steno Typist	Stenographer	5 Years	1. Director Fisheries - Chairman 2. Joint Director Fisheries - Member 3. Deputy Director Fisheries - Member

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1–16/2009/36/स्था.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मत्स्योद्योग संचालनालय में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा विस्तार के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विकास चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009" कहलायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** – ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि** – सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे।

4. **आरक्षण** – (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण – सीधी भर्ती के पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षण रहेगा।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(3) महिलाओं के लिए आरक्षण, – महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदो में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।

5. **व्यावृत्ति** – इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी की, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों या बनाये गये नियमों के अनुसार विनियमित होगी।

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति** – इन नियमों के तत्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते है,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप–सचिव.

अनुसूची
सीधी भर्ती हेतु

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिषत	आयु सीमा – न्यूनतम/ अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा/ परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाने की दशा में पद जिससे पदोन्नति स्थानांतरण किया जावेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मत्स्य जमादार	81 (28 सांख्येत्तर)	चतुर्थ वर्ग	4750–7440	1400	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 35	5 वीं उत्तीर्ण तथा नाव चलाने, जाल बुनने एवं जालों के उपयोग का पर्याप्त अनुभव, तैरना आना चाहिए।	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	–	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पदों के लिये 1. उप संचालक मत्स्योद्योग – अध्यक्ष (मुख्यालय) 2. संभागीय उप संचालक मत्स्योद्योग – सदस्य 3. सहायक संचालक मत्स्योद्योग – सदस्य	–
2	भृत्य	53 (5 सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 35	5 वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा		–
3	मछुआ/ चौकीदार	104 (27 सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5 वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
4	वाहन क्लीनर	04 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण, वाहन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
5	ट्रेक्टर क्लीनर	01 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण, वाहन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
6	परिचारक (अटेण्डेंट)	01 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
7	बोटमेन	01 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण, नाव चलाने का अनुभव	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
8	प्रयोगषाला परिचारक	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	10 वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
9	वाटरमेंन	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
10	स्वीपर	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–

Raipur, the 29th March 2010

No. F 1-16/2009/36/Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the class-IV service in the Directorate of Fisheries, namely;-

RULE

1. **Short title and Commencement-** (1) These rules may be called Chhattisgarh Fisheries Development class-IV service Recruitment Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc. -** The classification of the Service, the number of posts included in the Service, and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (3) to (12) of the Schedule.

4. **Reservation -** (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. - Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women,- Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are herby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE
FOR DIRECT RECRUITMENT

S. No	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Grade Pay	Method of Recruitment percentage of vacant post to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods.	Age limit Minimum Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of Probation/ Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed age limit and education qualification to the direct recruitment will be apply.	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made.	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fishery Jamadar	81 (28supernum)	Class-IV	4750-7440	1400	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th pass sufficient experience of boating weaving of net and using of net, must know swimming	2 years	Column No. 7 to 9		For all the post of Class-IV category: 1. Deputy Dierctor Fisheries - Chairman (Headquarter) 2. Divisional Deputy Director Fisheries - Member 3. Assistant Director Fisheries - Member	
2	Peon	53 (5 supernum)	---do---	--do--	1300	---do---	---do---	5 th Pass	---do---	---do---	5 years continuous service		
3	Fisherman Chowkidar	104 (27supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5 th Pass	---do---	---do---	---do---		
4	Vehicle Cleaner	04 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass experience of one year working on the vehicle.	---do---	---do---	---do---		
5	Tractor Cleaner	01 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass experience of one year working on the vehicle.	---do---	---do---	---do---		
6	Attendent	01 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	Class 5th passed	---do---	---do---	---do---		
7	Boat man	01 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th passed experience boating.	---do---	---do---	---do---		

S. No	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Grade Pay	Method of Recruitment percentage of vacant post to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods.	Age limit Minimum Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of Probation/ Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed age limit and education qualification to the direct recruitment will be apply.	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made.	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Lab Attendant	02	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	10 th Pass	---do---	---do---	---do---	---do---	
9	Waterman	01	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass	---do---	---do---	---do---		
10	Sweeper	01	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass	---do---	---do---	---do---		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्रमांक/119/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन.				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	परसवानी प. ह. नं. 44	0.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द छ. ग.	लोवर जोंक बैराज योजना पहुंच मार्ग एवं बंड लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक क/ भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	ढिटोरी प. ह. नं. 08	0.081	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	करापाली माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक क/ भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खरहरकुड़ा प. ह. नं. 10	2.489	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	खरहरकुड़ा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक क/ भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक्र प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	घाठाद्वारी प. ह. नं. 10	0.755	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	खरहरकुड़ा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 23 मार्च 2010

क्रमांक/1520/भू-अर्जन/कोरिया/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (17) के उपबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चरवाही	0.24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ. ग.)	सड़क चौड़ीकरण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक **अवस्थी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, बस्तर जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	धनोरा	1.213	पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर बस्तर जिला.	ग्राम धनोरा में पुलिस थाना परिसर एवं परेड ग्राउण्ड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	मोहलई	0.41	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	भण्डारसिवनी- चरकई मार्ग के कि.मी. 7/3 भरवडीग नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र./2970/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	नरेटीटोला प. ह. नं. 61	4.982	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु (अनुपूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र./2971/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जामरी प. ह. नं. 13	0.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-2 बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र./2972/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मेरेगांव प. ह. नं. 29	18.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र./2973/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	खलारी प. ह. नं. 29	12.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पिनकापार डायवर्सन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र./2974/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	लछना प. ह. नं. 12	53.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	प्रधानपाट बैराज योजना अन्तर्गत डुबान हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र./2975/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	कोपेभाठा प. ह. नं. 12	0.67	(छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग) कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मंडल परियोजना संभाग, राजनांदगांव.	दीनदयाल अटल आवास योजनांतर्गत पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	खम्हार प. ह. नं. 04	1.297	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	साजादरहा व्यपवर्तन योजना की बायीं मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 35 तक का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गिधकालो प. ह. नं. 07	0.854	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ. ग.).	सलखेता जलाशय योजना की परसा माइनर के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	परसा प. ह. नं. 07	2.170	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सलखेता जलाशय योजना की परसा माइनर हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन,
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बाँझीआमा प. ह. नं. 06	1.168	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ. ग.).	सलखेता जलाशय योजना की परसा माइनर के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोसाईपोड़ी प. ह. नं. 08	1.722	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ. ग.).	सलकासांगुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत गोसाईपोड़ी शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	पाटन प. ह. नं. 20	1214/2	0.101	आयुक्त, उद्योग संचालनालय छ. ग.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			1252	0.543		
			1253/1	0.283		
			1218/1	0.243		
			1253/2	0.202		
			1445	0.194		
			1446/1	0.016		
			1446/2	0.073		
			1446/3	0.142		
			1446/4	0.081		
			1204	0.004		
			1219	0.097		
			1261	0.283		
			1216/1	0.053		
			1458/2	0.037		
			1464	0.049		
			1278/1 ख	0.024		
			1462/2	0.190		
			1278/1 ग	0.009		
			योग	**2.624**		

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/5/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपका प. ह. नं. 12	1062	0.012	आयुक्त, उद्योग संचालनालय छं. ग.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			913/3	0.004		
			913/4	0.142		
			892/2257	0.073		
			916/2	0.004		
			919/4-920/4-922/4	0.065		
			1030/1	0.162		
			1030/5	0.012		
			913/5	0.154		
			918	0.223		
			1030/2	0.142		
			1052	0.186		
			900/3	0.041		
			892/1	0.036		
			892/2	0.235		
			891/2	0.012		
			917/1	0.004		
			919/1-920/1-921/1	0.065		
			902	0.105		
			913/1	0.033		
			1058	0.340		
			898/2	0.425		
			926/3	0.061		
			926/10	0.062		
			888/2258/2	0.062		
			926/2	0.063		
			योग	**2.723**		

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपकी प. ह. नं. 15	616	0.049	आयुक्त, उद्योग संचालनालय छ. ग.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			622	0.231		
			840/2	0.105		
			785/1	0.057		
			781/2	0.259		
			781/1	0.065		
			626/1	0.109		
			865/1	0.004		
			813/1	0.012		
			787	0.121		
			781/3	0.182		
			781/4	0.032		
			784/1	0.166		
			813/2	0.232		
			840/1	0.421		
			841	0.638		
			842/4	0.477		
			842/5	0.286		
			842/6	0.286		
			791	0.712		
			792/1	0.255		
			योग	**4.699**		

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/7/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	गुड़ेलिया प. ह. नं. 20	3	0.162	आयुक्त, उद्योग संचालनालय छ. ग.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			81	0.024		
			82	0.105		
			83/2	0.243		
			364	0.166		
			453/2	0.486		
			107	0.053		
			366	0.563		
			453/3	0.514		
			444/2	0.166		
			269	0.134		
			365	0.143		
			444/4	0.053		
			447	0.113		
			448	0.129		
			110	0.223		
			108	0.223		
			4/1	0.352		
			2	0.178		
			102-103	0.243		
			446/2	0.056		
			449/2	0.376		
			100	0.029		
			4/2	0.255		
			79/1	0.009		
			109	0.097		
			446/1	0.057		
			457	0.069		
			105/2	0.004		
			268	0.004		
			270/7	0.278		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1/4	0.194		
			270/2	0.162		
			270/8	0.162		
			326/2	0.004		
			327/1	0.174		
			327/3	0.049		
			योग	**6.252**		

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	चिचपोल प. ह. नं. 20	1608/4	0.078	आयुक्त, उद्योग संचालनालय छ. ग.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			141/4	0.021		
			386/1	0.009		
			1608/3	0.078		
			1525/1-1528/49	0.809		
			1525/1-1528/18	0.809		
			1525/1-1528/28	0.809		
			1525/1-1528/17	0.809		
			1525/1-1528/23	0.809		
			1525/1-1528/30	0.809		
			1525/1-1528/14	0.809		
			1572	0.162		
			1574	0.769		
			1525/1-1528/46	0.809		
			1525/1-1528/39	0.809		
			587	0.506		
			1525/1-1528/40	0.607		
			1525/1-1528/33	0.809		
			1525/1-1528/32	0.809		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1525/1-1528/52	0.607		
			1525/1-1528/21	0.809		
			1525/1-1528/42	0.607		
			1601/1	1.019		
			1606	0.194		
			1610/1	0.396		
			1612	0.283		
			1525/1-1528/24	0.809		
			1525/1-1528/53	0.607		
			1525/1-1528/29	0.809		
			1525/1-1528/48	0.809		
			1525/1-1528/45	0.809		
			1525/1-1528/25	0.405		
			1525/1-1528/47	0.809		
			1525/1-1528/50	0.809		
			1607	0.210		
			1643	0.049		
			603	0.045		
			1489/7	0.506		
			1525/1-1528/5	1.202		
			1742	0.004		
			1525/1-1528/9	0.809		
			1525/1-1528/10	0.809		
			1525/1-1528/12	0.809		
			67	0.009		
			528	0.009		
			1569/1	0.121		
			1569/3	0.121		
			1569/2	0.361		
			1608/1	0.233		
			523	0.017		
			141/3	0.089		
			1608/2	0.078		
			4/2	0.012		
			62/2	0.029		
			142/1	0.004		
			328	0.033		
			331	0.085		
			1641	0.255		
			1592	0.534		
			1604	0.397		
			1525/1-1528/44	0.809		
			143/1	0.081		
			530/2	0.009		
			392-393	0.037		
			606	0.012		
			1525/1-1528/16	0.809		
			1525/1-1528/22	0.809		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1525/1-1528/27	0.809		
			1525/1-1528/26	0.809		
			1525/1-1528/13	0.809		
			1525/1-1528/31	0.809		
			1525/1-1528/41	0.809		
			1525/1-1528/43	0.405		
			1525/1-1528/56	0.404		
			1525/1-1528/51	0.870		
			1756/2	0.049		
			1566	0.049		
			140/2	0.105		
			547/2	0.129		
			140/4	0.061		
			320/1	0.614		
			330	0.138		
			386/2	0.907		
			1591/1	0.065		
			1634	0.263		
			1638	1.319		
			321/4	0.138		
			610	0.299		
			600	0.077		
			609	0.138		
			1715/2	0.265		
			1713	0.089		
			333	0.255		
			71	0.202		
			1577/3	0.320		
			1575/1784/2	0.405		
			1590	0.344		
			1602	0.575		
			141/1	0.482		
			1577/2	0.607		
			1591/2	0.182		
			1608/5	0.233		
			69	0.684		
			297	0.065		
			26	0.405		
			77/2	0.162		
			512-513-514/2	0.202		
			320/2	0.219		
			601	0.134		
			1640	0.049		
			1716	0.251		
			391	0.239		
			1708/2	0.081		
			4/1	0.202		
			530/1	0.081		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			22	0.194		
			62/3	0.182		
			62/5	0.081		
			1489/14	1.181		
			1601/3	0.890		
			1605/1	0.195		
			516/1	0.021		
			586/2	0.336		
			1489/15	1.173		
			1525/1-1528/2	1.202		
			1525/1-1528/54	0.607		
			1577/1	0.308		
			1613/1-1626/1	0.554		
			1724/1	0.110		
			1601/2	1.113		
			योग	54.451		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 3 मार्च 2010

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-नर्मदापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-47.812 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
980	0.283
972/1	0.405
970/4	0.429
1066/1	0.991
1071/1	1.473
1042	0.417
1070/1	0.340
1070/2	0.340
1067	0.534
1039	0.615
985	0.494
1040	0.466
1047	0.210
1048	0.190
1607	0.490
1608	2.647
1056/1	0.566
975	0.271
1609	0.591
1062	0.482
983/1	0.148
979/1	0.348
977/1	0.087
1055/1	0.091
1050/1	0.142
1610/7	1.214

(1)	(2)
1065/4	0.085
982	0.696
1051	0.624
1052	0.534
1056/2	0.255
970/1	0.405
1044	0.733
1045/1	0.370
1071/3	0.622
1059/2 क	0.669
1068/2	0.598
984/1	0.129
1065/1	0.061
977/2	0.087
979/2	0.348
983/2	0.147
1055/2	0.091
1043	0.053
1059/1	1.017
1053	0.182
1068/1	0.462
1069/1	0.750
1073/3	0.405
971	0.462
1610/5	1.214
970/3	0.324
1046/2	0.239
1071/2 क	0.401
1066/2	1.256
1069/2	0.739
1058	0.202
973	0.190
986	0.425
1045/2	0.140
1057	1.108
981	0.502
1038/2	0.573
1049	0.352
970/2	324
972/2	0.648
1046/1	0.239
1066/1	1.257
1071/2 क	0.401
1606	2.865
974/1	0.186
974/2	0.186
1073/1	0.275
976	0.664
978	0.433
984/2	0.129
1054	0.166
1065/2	0.061
1060	0.567
1061	0.170
1063/3	0.335
1063/4	0.202
1063/2	0.628
1065/3	0.061
1073/2	1.011
1074	0.466
1064	0.506
1605/2	0.817
1610/2	0.914
1610/3	0.664
1610/6	0.809
1050/2	0.445
1059/3	0.669
योग 93	47.812

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम नर्मदापुर में बाक्साईट उत्खनन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अप्रैल 2010

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी
- (ग) नगर/ग्राम-भवानीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/193/2	0.202
175/16	0.121
योग	0.323

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम भवानीपुर मार्ग पर टेवा सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2009

क्रमांक क/वा/भू-अर्जन/अ.वि.अ./पृ.क्र. 5/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-सुन्द्रावन, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.523 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1184/59	0.070
1184/43	0.101
1158/3	0.028
1158/4	0.061
1158/2	0.032
1167/3	0.109
1184/68	0.122
योग 7	0.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्रमांक/2888/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चिचदो, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.758 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
476/1	0.061
477/1	0.024
222/2	0.049
477/2	0.020
221/3	0.020
477/4	0.057
391/1	0.202
376/2	0.004
224/2	0.032
221/4	0.178
477/5	0.032
391/2	0.130
376/3	0.008
482/2	0.121
465	0.049
463	0.073
332/3	0.061
332/4	0.020
320/2	0.069
317	0.263
333/1	0.069
462/2	0.065
332/2	0.049
462/1	0.041
332/1	0.081
461/1	0.008
461/2	0.049
320/1	0.081
140/4	0.028
140/5	0.057
140/6	0.028
143	0.041
137/2	0.142
146/1	0.028
146/2	0.069
146/3	0.008
106	0.162
98/3	0.008
98/4	0.016
99	0.216
147/1	0.020
151/10-12	0.073
148/1	0.020
460/1	0.004

(1)	(2)
151/1, 3	0.081
460/2	0.041
460/3	0.073
453/1	0.041
451	0.081
449	0.073
446/1	0.049
390/2	0.028
389/7	0.057
376/1	0.053
389/8	0.247
387	0.121
101/1, 2, 3	0.182
107	0.020
110	0.016
105/1	0.077
386	0.053
253	0.089
385	0.004
376/4	0.223
377	0.065
339/1	0.089
339/2	0.004
338/1	0.081
338/2	0.008
340/1	0.243
340/2	0.016
148/2	0.024
148/3	0.073
148/4	0.057
223	0.109
225/3	0.049
105/2	0.024
140/3	0.069
254/2	0.081
252/1	0.032
224/4	0.032
225/1	0.065
224/8	0.101
250	0.105
249	0.061
251	0.073
281/6	0.028
341	0.049
335	0.004
334/1	0.061

	(1)	(2)
	343	0.121
	145	0.061
	333/2	0.109
	330/3	0.036
	331	0.020
	108	0.028
	252/2	0.032
	273	0.202
	281/3	0.081
	281/12	0.008
	389/4	0.012
योग	101	6.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्रमांक/2969/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीपार, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	583/1	0.113
	567/6	0.053
	589/1	0.117
	589/2	0.202
	590	0.021
योग	5	0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-पड़कीडीपा, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	68/2	0.041
योग	1	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करनपाली व्यप. योजनान्तर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-कर्राकोट, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.223 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	696/3	0.023
	696/1 क	0.023
	698/1 ख	0.013
	697/1 क	0.027
	697/1 ख	0.040
	697/2	0.040
	698/3	0.057
योग	7	0.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुलाबंद फीडर योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े नावापारा, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
472/1	0.057
472/3	0.056
472/2 क	0.031
1127/2	0.032
472/2 ड़	0.076
472/2 ग	0.022
472/2 घ	0.021
472/2 क	0.014
472/4	0.180
472/2 ख	0.144
469	0.054

(1)	(2)
470/3	0.054
469	0.042
470/2	0.042
469	0.075
470/1	0.075
473/1	0.022
475	0.026
476/2	0.016
476/1	0.022
468/1	0.110
468/3	0.130
481/1	0.237
512/4	0.101
512/1 ग	0.098
512/1 ख	0.098
512/1 क	0.043
1059/2	0.007
509/2	0.021
509/3	0.021
512/2	0.180
512/5	0.074
512/3 ख	0.012
511	0.044
508/3	0.007
योग 35	2.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुलाबंद फीडर योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-करपी, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219/7	0.010
222/7	0.010
219/6	0.010
222/6	0.010
219/5	0.010
222/5	0.010
219/3	0.012
222/3	0.012
220/3	0.004
220/4	0.004
225/6	0.032
231/8	0.005
232/3	0.005
223/2	0.065
224	0.028
233	0.016
239	0.041
244/1	0.045
251	0.016
238	0.024
225/1	0.008
237/3	0.012
225/2	0.024
237/1	0.008
250	0.008
216/2	0.032
184/1	0.011
124/1	0.046
130/1	0.008
155/2	0.007
136/2	0.008
216/3	0.041
192	0.041
155/2	0.007
237/2	0.012

(1)	(2)
247/2 ख	0.008
193/2	0.024
194/2	0.004
191/3	0.082
191/2	0.050
230/2 ख	0.008
230/2 घ	0.008
191/1	0.048
184/2	0.010
131	0.004
152	0.004
153	0.004
154/2	0.003
131	0.004
152	0.004
153	0.004
154/5	0.003
130/4	0.008
155/4	0.007
131	0.004
152	0.004
153	0.004
154/4	0.003
129/2	0.062
26	0.018
50/2	0.017
130/3	0.008
155/3	0.007
127/4	0.030
129/1	0.030
26	0.017
184/3	0.011
127/6	0.049
229	0.040
230/2 क	0.008
230/2 ग	0.008
215	0.032
193/1	0.009
214	0.004
234	0.032
230/1	0.045
132/5	0.004
130/2	0.008
50/1	0.017
124/2	0.047
128/1	0.045
231	0.005
332/2	0.005
242	0.036
252	0.024
253	0.016
248/1 ख	0.008
248/1 ग	0.004
261	0.042
268	0.020
योग 90	1.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करपी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-केनाभांठा, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.268 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136/3	0.086
136/2	0.033
136/1	0.086

(1)	(2)
133/2	0.039
135	0.023
137	0.023
95/3	0.028
96/3	0.029
97/3	0.029
116/3	0.029
138	0.031
97/2	0.021
98	0.021
114/2	0.022
115/2	0.022
116/2	0.022
133/3	0.039
95/2	0.045
96/2	0.045
118/2	0.045
97/1	0.006
118/1	0.006
114/1	0.006
115/1	0.005
116/1	0.005
122	0.05
92	0.018
87	0.121
88/1	0.067
88/3	0.05
88/2	[illegible]
85/1/ख	0.058
85/2	0.097
योग 33	1.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुलाबंद फीडर योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-रिसौरा, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.472 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
485/12	0.081
482/4	0.053
482/2	0.158
485/3	0.036
485/2	0.012
485/7	0.013
485/10	0.008
485/1	0.054
483/4	0.069
483/2	0.025
483/5	0.026
483/1	0.014
485/13	[illegible]
485/5	[illegible]
482/5	0.057
482/1	0.060
470/1	0.040
470/3	0.133
486/1	0.113
486/2 क	0.129
486/2 ख	0.105
469/2	0.109
470/3	0.097
468/2	0.013
465/1	0.006

(1)	(2)
466/1	0.006
465/2	0.003
466/2	0.004
470/6	0.034
470/5	0.012
470/4	0.010
463	0.120
464	0.229
462	0.090
461/2 ख	0.044
461/2 क	0.030
454/1 क	0.150
457/2	0.009
451/4	0.009
456/3	0.110
454/2	0.172
योग 41	2.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुलाबंद फीडर योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक/3113/ज्ये.लि.-1/2010.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारम्भ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ आपातिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव उपभोग के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी, मानवीय उपभोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ. ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्ण सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th April 2010

No. 05 (Mis)/I-7-3/2010 (Pt.-I).— 14th April, 2010 is declared holiday for the High Court, Registry and Subordinate Courts on account of Dr. B. R. Ambedkar Jayanti.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 20th April 2010

No. 233/L. G./2010/II-2-9/2005.—Smt. Anita Jha, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 14 days from 17-05-2010 to 30-05-2010 and permission to prefix holidays from 15th to 16th May, 2010 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 150 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.